Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Case No.-83/2024]

Md. Qaisar Alam & Ors... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors.. Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	9.12.2025	See order below	

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-35/2023-24 में दिनांक-20.3.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल नहीं है।

इस वाद की सुनवाई में विपक्षीगण की ओर से लगातार गई तिथियों में सुनवाई में अभिरूचि नहीं लिये जाने के कारण दिनांक-12.11.2025 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना। तथा विपक्षीगण को अगली सुनवाई में अपना बहस/Final Argument करने का अंतिम मौका दिया गया। इसके बावजूद विपक्षीगण अनुपस्थित रहे एवं तद्नुसार इस अपील वाद में दिनांक-12.11.2025 को पारित आदेश के आलोक में अगली निर्धारित तिथि दिनांक-25.11.2025 को उपस्थित पक्ष की सुनवाई कर आदेश सुरक्षित किया गया। तथा उभय पक्ष को एक सप्ताह के अन्दर लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया गया। किसी भी पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
डगरूआ	चतरा/213	68	77	1ए.15डी.

अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र तथा अन्य कागजातों के अवलोकन से प्रश्नगत जमीन के संदर्भ में निम्नांकित तथ्यात्मक स्थिति दृष्टिगत है:-

1. न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी में BT Act की धारा 48E के तहत दायर बटाईदारी वाद सं.-10/05-06 (मो0 जहीरउद्दीन वादी बनाम बोकाय साह एवं अन्य) में आदेश दिनांक 25.5.2007 द्वारा बटाईदारी वाद को खारिज किया गया।
2. उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा राजस्व अपील वाद संख्या-76/2008 में पारित आदेश (ज्ञापांक-3720 दिनांक-15.12.2011) द्वारा जमीन पर लगातार 30 वर्षो से दखल कब्जा होने के अभिकथन के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.05.2007 को विधिसम्मत नहीं पाते हुए निम्न न्यायालय को तीन माह के अन्दर पुनः सुनवाई/जाँच कर आदेश पारित करने हेतु Remand किया गया। किन्तु भूमि सुधार उप समहाहर्त्ता, बायसी के स्तर से अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया।
3. उपरोक्त बटाईदारी वाद सं0-10/05-06 में अंतिम निर्णय होने तक प्रश्नगत जमीन खतियानी/जमाबंदी रैयत/क्रेता अथवा बटाईदार का Undisputed Title/ Right विनिश्चत

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

P.

9.12.2025

किया जाना संभव नहीं है।

4. अपीलार्थी की ओर से निबंधित केवाला संख्या-16624 दिनांक-11.12.2009 द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय खतियानी/जमाबंदी रैयत के क्रेता से करने के आधार पर दावा किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर बटाईदारी वाद सं0-10/05-06 में अंतिम निर्णय होने तक खतियानी/जमाबंदी रैयत के स्तर से जमीन का विक्रय करना पूर्णतः विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। तदनुसार अपीलार्थी का दावा विधिमान्य प्रमाणित नहीं होता है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के स्तर से बटाईदारी वाद सं.-10/05-06 निर्णित किये बिना बी.एल.डी.आर. वाद संख्या- 35/2023-24 में अंतिम आदेश पारित किया जाना यथोचित नहीं है। चुंकि दोनों वाद इनके न्यायालय में ही प्रक्रियाधीन था।

अतः तदनुसार बी.एल.डी.आर. वाद संख्या- 35/2023-24 को निम्न न्यायालय को Remand back करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी को निम्नांकित आदेश दिया जाता है :-

1. बटाईदारी वाद सं0-10/05-06 को संगत तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं के आधार पर उभय पक्ष की विधिवत सुनवाई करते हुए सकारण आदेश से अधिकतम 1 माह के अन्दर निस्तार करेंगे।
2. बटाईदारी वाद सं0-10/05-06 निर्णित होने के उपरांत उभय पक्ष की विधिवत सुनवाई करते हुए सकारण आदेश से अधिकतम 1 माह के अन्दर बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-35/2023-24 का निस्तार करेंगे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

09/12/25.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

09/12/25.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया